

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर  
पीठासीन अधिकारी : ओपीओ बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 107 / 2020

अपीलान्ट्स	बनाम	रेस्पोंडेन्ट
1. दीपाराम पुत्र आईदानराम मेघवाल निवासी-सोलंकिया तला तहसील शेरगढ, जोधपुर।		1. मांगीलाल पुत्र गोरखाराम मेघवाल निवासी-सोलंकिया तला तहसील शेरगढ, जोधपुर। 2. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, शेरगढ

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध आदेश दिनांक 20.03.2020 जो न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शेरगढ के द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 02/2020 अनवान मांगीलाल बनाम सरकार में पारित किया गया।

उपस्थिति:-

- 1- श्री महेश मेहता, अधिवक्ता अपीलान्ट्स की ओर से।
- 2- श्री बरकतखॉ मेहर, अधिवक्ता रेस्पोंड संख्या 1 की ओर से।
- 3- श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोंड संख्या 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 23 जनवरी, 2023

अपीलान्ट्स की ओर से प्रस्तुत उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोंड संख्या 1 के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट के तहत पत्थरगढी व सीमांकन करने बाबत प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि उनकी खातेदारी व कब्जा काश्तसुदा भूमि ग्राम सोलंकिया तला के ख0सं0 1487/4 रकबा 14.00 बीघा, ख0सं0 1734/5 रकबा 20.03 बीघा भूमि आई हुई है जो उसकी खरीदशुदा होकर राजस्व रेकर्ड में दर्ज है एवं वर्तमान में वे काबिज काश्त है। उक्त वर्णित भूमि का बंटवाडा प्रशासन गांवों के संग अभियान वर्ष 2014 में हो रखा है और उसी अनुसार प्रार्थी तरमीम व पत्थरगढी करवाना चाहते है। भूमि की पत्थरगढी की जाती है तो उससे अन्य किसी को किसी प्रकार का नुकसान या क्षति नहीं होगी लेकिन मौके पर पडौसी खेत के काश्तकारों द्वारा दखल अन्दाजी करने की सम्भावना है। इस कारण से उक्त खातेदारी की भूमि की पत्थरगढी करने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है। रेस्पोंड के प्रार्थना पत्र को अधिनस्थ न्यायालय ने दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार को नोटिस जारी किये तथा पत्रावली दिनांक 28.2.2020 को मुकर्रर की। तहसीलदार के द्वारा दिनांक 28.2.2020 को अपना जवाब पेश कर दिया। तत्पश्चात अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी/रेस्पोंड संख्या एक के प्रार्थना पत्र को दिनांक 20.3.2020 को स्वीकार करते हुए तहसीलदार शेरगढ को निर्देशित किया कि ख0सं0 1487/4 रकबा 14.00 बीघा, ख0सं0 1734/5 रकबा 20.03 बीघा भूमि में सभी खातेदारों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने की कार्यवाही करें। उक्त पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.03.2020 से व्यथित होकर यह अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है।

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित। दौरान सुनवाई अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह



कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश की अनुपालना में तहसीलदार शेरगढ ने दिनांक 19.06.2020 को पटवारी हल्का को मौके पर सीमांकन व पत्थरगढी करने हेतु नियुक्त किया तब दिनांक 24.6.20 को पटवारी हल्का मय पुलिस जाब्ता मौके पर अपीलान्त की गैर मौजूदगी में सीमांकन कर सीमांकन करवाया जाकर पत्थरगढी सुनिश्चित की गई व मौका रिपोर्ट तैयार कर दिनांक 25.6.2020 को पेश की गई थी।

अपीलान्त के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि दाउराम पुत्र बाबूराम मेघवाल जो अपीलान्त के गांव का होने से परिचित होने से अपीलान्त को माह नवम्बर 2017 में मिला और कहा कि वो एडवोकेट है तथा बालेसर व शेरगढ के न्यायालयों में वकालत करता है तथा बताया कि ख0सं0 1487, 1734 व 1739 में से लूणाराम के द्वारा अपना नाम गलत रूप से राजस्व रेकॉर्ड में खातेदारी में दर्ज कराया है। वर्तमान में लूणाराम के पुत्र जुगताराम व नगाराम के नाम खातेदारी रेकॉर्ड में गलत दर्ज है जिस पर अपीलान्त ने गांव वालों को इक्टठा किया उस समय दाउराम व रेसपो0 संख्या एक भी मौजूद था और उसने गांव वालों के समक्ष कहा कि जुगताराम व नगाराम का नाम खातेदारी में गलत दर्ज है और मैं यह कार्यवाही कर इनके नाम हटवा दूंगा लेकिन दाउराम ने अपीलान्त से मिलने से पूर्व यह मशक्कत सोची समझी चाल के तहत राजस्व रेकॉर्ड में पता लगा रखा था क्योंकि दाउराम को अपनी ढाणी तक रास्ते की जमीन की आवश्यकता थी जिसके लिये एक योजनाबद्ध तरीके से अपीलान्त के समक्ष उपरोक्त प्रस्ताव रखा। जिस पर दाउराम ने अपीलान्त को न्यायालय में दावा दायर करने हेतु कहा तो दाउराम ने सम्पूर्ण मुकदमें के फीस पेटे 02 बीघा जमीन मांगी जिस पर अपीलान्त 02 बीघा जमीन दाउराम के नाम खातेदारी में इन्द्राज करवाने हेतु तैयार हो गया। जिस पर दाउराम ने हल्का पटवारी से पता किया तो पता चला कि अपीलान्त की जमीन बैंक में किसान क्रेडिट कार्ड के एवज में यूको बैंक सेतरावा में रहन होना बताया। जिसे रहन मुक्त करवाने हेतु करीबन 4 लाख 55 हजार रुपये की जरूरत पड़ेगी जिस पर दाउराम ने कहा कि मैं यह राशि भर दूंगा लेकिन तुम्हे 04 बीघा जमीन और देनी पड़ेगी जिस पर अपीलान्त कुल 06 बीघा भूमि दाउराम को देने हेतु तैयार हो गया। तब दाउराम ने अपीलान्त के किसान क्रेडिट कार्ड के बकाया राशि 4,55,628,48 रुपये जमा करा दिये तथा जमीन रहन मुक्त हो गई। जिस पर दाउराम ने अपीलान्त की तरफ से दावा करने हेतु खेत की नकले प्राप्त की और दाउराम ने अपीलान्त की जानकारी व सूचित किये बगैर पैरवी नहीं कर वकील पारसमल सोनी, देवेन्द्र सोनी को नियुक्त कर राजस्व वाद दायर करने हेतु मुकर्रर कर दिया परन्तु उन्हें अपीलान्त से नहीं मिलवाया। तत्पश्चात दिनांक 31.01.2018 को दावा पेश कर दिया गया परन्तु किसी प्रकार से स्थगन लेने की कोशिश नहीं की क्योंकि उनको यह जानकारी पूर्व से थी कि दाउराम को अपनी ढाणी तक रास्ते की जमीन की आवश्यकता है तथा दाउराम के कहने से उन्होंने स्टे कोई कोशिश नहीं की।

अपीलान्त के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि दाउराम स्वयं व अपनी माता खमादेवी के साथ दिनांक 14.5.18 को अपीलान्त को साथ लेकर तहसील मुख्यालय शेरगढ आया और अपीलान्त की अनपढता का फायदा उठाते हुए धोखाधडी कर



स्वयं के नाम से 10 बीघा भूमि अपनी माँ खमादेवी के नाम बेचाननामा करवा दिया। जिसका अलग से कोई भुगतान नहीं किया न ही किसी प्रकार की जानकारी दी। तत्पश्चात राजस्व वाद में अधिवक्ता पारसमल सोनी ने अपीलान्त को कोई नोटिस दिये ही दिनांक 9.7.19 को नो इन्स्ट्रक्शन प्लीड कर दिया। जिस पर न्यायालय ने नोटिस आने पर अपीलान्त दाउलाल से मिला तो कहा कि मैं आपका मुकदमा देख रहा हूँ आपको कोई चिन्ता करने की कोई बात नहीं है। उसके उपरान्त उक्त प्रकरण को अधिवक्ता द्वारा अदम पैरवी व अदम हाजरी में दिनांक 4.10.19 को खारिज करवा दिया।

अपीलान्त के अधिवक्ता ने अपील को विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने एवं अपील को अन्दर म्याद शुमार किये जाने बाबत यह कथन किया कि अपीलान्तस अनपढ व्यक्ति है एवं खेत में ही कृषि कार्य व मजदूरी करता है। दिनांक 26.3.19 को दाउराम ने अपीलान्त के विरुद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम व धारा 111, 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया जिसमें भी अपीलान्त को नोटिस मिले तो अपीलान्त उक्त नोटिस लेकर दाउराम के पास गया। दाउराम पहले तो अपीलान्त की ओर से स्वयं वकील बनकर तथा अपीलान्त को गुमराह करते हुए अपीलान्त से खरीद की जमीन का बंटवाडा करवाते हुए अपीलान्त के विरुद्ध वाद पेश कर दिनांक 13.9.19 को प्रारम्भिक डिक्री ले ली तथा मौके पर प्रस्तावित बंटवाडा हेतु दिनांक 8.11.19 को मौका फर्द बनाई गई जिस फर्द पर अपीलान्त को किसी प्रकार से सूचित नहीं किया और न ही अपीलान्त के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात बाले बाले दिनांक 6.12.19 को अन्तिम डिक्री ले ली। फिर दाउराम ने मौके पर पत्थरगढी करवाने हेतु व मौके पर कब्जा करने हेतु पडौसी मांगीलाल रेस्प0 संख्या 1 को पक्ष में करने हेतु सांठगाठ की ओर कहा कि तुम मेरे लिये रास्ते की जमीन दे दो तो मैं तुम्हे रास्ते की जमीन के एवज में अपीलान्त की जमीन दिलवा दूंगा। तदुपरान्त दिनांक 20.3.2020 को अधिनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन आदेश प्राप्त करते हुए दिनांक 24.6.20 को पत्थरगढी करवा ली गई। उक्त प्रार्थना पत्र में अपीलान्त को पक्षकार नहीं बनाया और न ही किसी प्रकार का नोटिस दिया और मौका फर्द बनवा ली। उक्त कार्यवाही दाउराम के द्वारा अपीलान्त को उसकी जमीन से वंचित करने के लिये षडयंत्र करते हुए अपीलाधीन आदेश सम्बन्धी कार्यवाही करवा लिया जिसमें उसको पक्षकार नहीं बनाया तथा पुलिस की मौजूदगी में अपीलान्त उनकी माता ने स्वयं अपीलान्त की 16 बीघा भूमि पर तथा मांगीलाल पुत्र गोरखाराम रेस्प0 संख्या 1 ने अपीलान्त की कृषि भूमि पर तथा जुगताराम व नगाराम पुत्रान लूणाराम को अपीलान्त की अन्य कृषि भूमि पर कब्जा करवा दिया। इसके बाद अपीलांत को भयभीत करने हेतु पुलिस से मिलीभगत कर गलत जानकारी देते हुए अपीलान्त को दिनांक 12.7.20 को धारा 151 सीआरपीसी के तहत गिरफ्तार करवा दिया। अपीलान्त के द्वारा अपने राजस्व मुकदमें के दस्तावेज दिनांक 15.7.20 व 29.7.20 को प्राप्त किये तब अपीलान्त को सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई और दाउराम के द्वारा उल्लेखित प्रकरणों में कोई पैरवी नहीं कर अन्य वकील पारसमल सोनी व देवेन्द्र सोनी से मिलीभगत कर खारिज करवा दिया है और आपसी सांठगांठ करते हुए राजस्व वाद में नो इन्स्ट्रक्शन प्लीड कर दिया और अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा जारी नोटिस



अपीलान्त को मिलने पर उसके अधिवक्ता दाउराम के द्वारा अपीलान्त का वाद अदमपैरवी व अदम हाजरी में खारिज करवा दिया। वादी/अपीलान्त को न्यायालय द्वारा जो नोटिस तारीख पेशी बाबत दिनांक 27.9.19 के भेजे गये तब अपीलान्त अधिवक्ता दाउलाल से मिला था लेकिन दाउलाल के कहने पर अपीलान्त वापस आ गया परन्तु दाउलाल के द्वारा उन्हें न्यायालय में पेश नहीं होने दिया जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 4.10.19 को प्रकरण अदम पैरवी में खारिज कर दिया। अपीलाधीन आदेश के क्रम में जो मौका फर्द तैयार की गई वह भी दाउलाल व राजस्व कर्मचारियों की मिलीभगती से एवं अपीलान्त की अनुपस्थिति में तैयार की गई है जो मौका फर्द स्वीकार करने योग्य नहीं है और न ही प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी व सीमांकन करने योग्य है। इसके अलावा रेस्प0 संख्या एक की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में पडौसी खातेदारान/काश्तकारान को पक्षकार नहीं बनाया गया और न ही उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया था जो राजस्व नियमों के तहत कार्यवाही सम्पादन हेतु आवश्यक थी। अपीलान्त ने दिनांक 29.7.20 को बेचाननामें की प्रतिलिपि प्राप्त की तथा अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर यह अपील तैयार करवाई एवं न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्तस अन्दर म्याद शुमार की जावे तथा अपील को गुणावगुण के आधार पर निर्णित किया जावे।



अपीलान्त के उक्त प्रकरण में विधिक भूल के सम्बन्ध में अपील पेश की है तथा राजस्व अधिकारियों की त्रुटि व भूल से अपीलान्त अपने खातेदारी हकों से वंचित हुआ है और न्याय हित में उन्हें समुचित अवसर नहीं दिया गया तो अपीलान्त अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष समुचित रूप से नहीं रख पायेगा। अतः अपीलान्त को न्यायहित में अवसर दिया जाकर अपीलान्त की अपील स्वीकार की जावे तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.03.2020 को निरस्त किया जावे। अपीलान्त के अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में उपरोक्त घटित कार्यवाही सम्बन्धी दस्तावेज इत्यादि अवलोकनार्थ प्रस्तुत किये गये।

प्रत्युत्तर में रेस्प0 संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा अपनी ओर से लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया कि उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्तर्गत धारा 111, 128 आर.एल.आर. एक्ट के तहत पत्थरगढी व सीमांकन करने बाबत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उनकी खातेदारी व कब्जा काश्तसुदा भूमि ग्राम सोलंकिया तला के ख0सं0 1487/4 रकबा 14.00 बीघा, ख0सं0 1734/5 रकबा 20.03 बीघा भूमि आई हुई है जो उसकी खरीदशुदा होकर राजस्व रेकर्ड में दर्ज है एवं वर्तमान में वे काबिज काश्त है एवं मौके पर माठ बनी हुई है। उक्त वर्णित भूमि का बंटवाडा प्रशासन गांवों के संग अभियान वर्ष 2014 में हो रखा है और उसी अनुसार प्रार्थी तरमीम व पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। भूमि की पत्थरगढी की जाती है तो उससे अन्य किसी को किसी प्रकार का नुकसान या क्षति नहीं होगी लेकिन मौके पर पडौसी खेत के काश्तकारों द्वारा दखल अन्दाजी करने की सम्भावना है। इस कारण से उक्त खातेदारी की भूमि की पत्थरगढी करने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है। रेस्प0 के प्रार्थना पत्र को अधिनस्थ न्यायालय ने दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार को नोटिस जारी किये तथा पत्रावली

दिनांक 28.2.2020 को मुकर्रर की। तहसीलदार के द्वारा दिनांक 28.2.2020 को अपना जवाब पेश कर दिया। उपखण्ड अधिकारी शेरगढ ने प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या एक के प्रार्थना पत्र को दिनांक 20.3.2020 को स्वीकार करते हुए तहसीलदार शेरगढ को निर्देशित किया कि प्रार्थी की ख0सं0 1487/4 रकबा 14.00 बीघा, ख0सं0 1734/5 रकबा 20.03 बीघा भूमि में सभी खातेदारों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने की कार्यवाही करें जो पूर्ण रूप से उचित एवं नियमानुसार आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गई है जो बहाल रखे जाने योग्य है।

रेस्पो0 संख्या एक के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.3.2020 की पालना में मौके पर दिनांक 24.6.2020 को पत्थरगढी की जा चुकी है। ऐसे में निर्णय आदेश की पालना सम्पन्न होने के बाद यह अपील प्रस्तुत की है जो पोषणीय नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत अपील म्याद बाहर पेश की गई है जो दिनांक 27.8.20 को प्रस्तुत की है जो 160 दिन की असाधारण देरी से पेश की है। उक्त अवधि को कन्डोन करने हेतु म्याद प्रार्थना पत्र में कोई ठोस कारण अंकित नहीं किये है। इस आधार पर अपीलान्त की अपील म्याद बाहर होने से खारिज करने योग्य है।

रेस्पोडेन्टस के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि दिनांक 24.6.20 को सम्पन्न की गई पालना कार्यवाही के दौरान अपीलान्त स्वयं मौके पर उपस्थित था तथा उसके द्वारा झगडा फसाद करने की चेष्टा की गई। पत्थरगढी सम्पन्न होने के बाद दिनांक 12.7.20 को अपीलान्त की उपस्थिति में की गई पत्थरगढी के कुछ भाग को जानबूझकर तोडफोड कर क्षतिग्रस्त कर हटाने की चेष्टा की गई। तब पुलिस बुलाकर अपीलान्त को गिरफ्तार किया गया जिसे अपीलान्त ने अपील में अंकित किया है। इस प्रकार अपीलान्त को अपीलाधीन आदेश व कार्यवाही की जानकारी भलीभांति थी क्योंकि विवादित भूमि के पडौस में ही उनका निवास व भूमि है इसलिये उसने की गई पत्थरगढी को जानबूझ कर क्षतिग्रस्त किया।

रेस्पो0 संख्या एक के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि रेस्पो0 संख्या एक को अपनी खातेदारी खसरा न भूमि की सीमाओं के अनुसार तथा मौके पर खेतों की सीमाओं की सुरक्षा हेतु पत्थरगढी करवाने के अधिकारी है और उसके अनुसार ही प्रार्थना पत्र पेश किया था, अपीलान्त को रेस्पो0 की खातेदारी भूमि के सम्बन्ध में उज्र एतराज करने का कोई अधिकार नहीं है। अपीलान्त ने अपनी सम्पूर्ण अपील में अपीलाधीन आदेश में वर्णित भूमि पर किसी प्रकार से हक हिस्सा होने, कब्जा काश्त होने, खातेदारी होने बाबत क शब्द भी अंकित नहीं किया है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो न्यायोचित होने से यथावत रखा जावे एवं अपीलान्त की अपील सारहीन व आधारहीन होने से अस्वीकार की जावें।

हमने उपस्थित पक्षकारान के अधिवक्ताओं की गई बहस पर मनन किया। अपीलान्तस के द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब बाबत उल्लेखित किये गये कथनों के आधार पर अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, अपीलाधीन आदेश दिनांक आदेश दिनांक 20.03.2020 इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिससे यह पाया गया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर



करते हुए अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1487/4 एवं खसरा संख्या 1734/5 का सीमांकन व पत्थरगढी चाही है। पत्थरगढी से पूर्व खसरान भूमि की विधिवत सीमाज्ञान किये जाने का अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में कोई प्रमाण नहीं है। लिहाजा अपीलान्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं दस्तावेजात का विवेचन विश्लेषण करने के उपरान्त अपील अपीलान्टस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शेरगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.01.2021 को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए तहसीलदार, शेरगढ को निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्षकारान की उपस्थिति में प्रमाणित नक्शों के आधार पर पुख्ता बिन्दुओं से खसरान भूमि की सीमाज्ञान की कार्यवाही की जावे तत्पश्चात विधिवत पत्थरगढी की कार्यवाही अमल में लाई जावें। निर्णय आज दिनांक 23 जनवरी, 2023 को सरे इजलास सुनाया गया।



(ओ0 पी0 बिश्नोई)

अतिरिक्त सम्भागीय अधिकारी  
जोधपुर